प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022- 22660502

16 मार्च 2022

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) उच्च जोखिम और निगरानी के अधीन अन्य क्षेत्राधिकार – 4 मार्च 2022

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने दिनांक 4 मार्च 2022 के सार्वजनिक दस्तावेज़ 'कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिमवाले क्षेत्राधिकार' के द्वारा अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से अनुरोध किया है कि फरवरी 2020 में अपनाई गयी इन क्षेत्राधिकारों से संबंधित विवरण का संदर्भ लें।

एफएटीएफ ने पहले निम्नलिखित क्षेत्राधिकारों की पहचान की, जिनमें कार्यनीतिक कमियां है और इनके निपटान के लिए एफएटीएफ के साथ एक कार्ययोजना विकसित की गई है। ये क्षेत्राधिकार हैं– अल्बानिया, बार्बाडोस, बुर्किना फासो, कंबोडिया, केमैन आइलैंड्स, हैती, जमैका, जॉर्डन, माली, माल्टा, मोरक्को, म्यानमार, निकारगुआ, पाकिस्तान, पनामा, फिलीपींस, सेनेगल, दक्षिण सूडान, सीरिया, तुर्की, युगांडा, यमन और ज़िम्बाब्वे। सार्वजनिक विवरण के अनुसार, 4 मार्च 2022 के एफएटीएफ प्लेनरी में लिए गए निर्णय के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात को अब बढ़ती निगरानी के अधीन क्षेत्राधिकार सूची में शामिल किया गया है और जिम्बाब्वे को इस सूची से हटा दिया गया है। एफएटीएफ प्लेनरी कार्यनीतिगत धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण के विरोध (सीएफटी) में आनेवाली कमियों का सामना कर रहे क्षेत्राधिकारों की पहचान और निवारण के लिए चल रहे अविरत प्रयासों के एक हिस्से के रूप में कार्यनीतिगत एएमएल/सीएफटी कमियों का सामना कर रहे क्षेत्राधिकारों के संबंध में 'कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिमवाले क्षेत्राधिकार' और 'बढ़ती निगरानी के अधीन क्षेत्राधिकार' शीर्षक से दस्तावेज जारी करती है। इस प्रकार की सूचना विनियमित संस्थाओं को उपर्युक्त देशों और क्षेत्राधिकारों के साथ वैध व्यापार और कारोबारी लेनदेन को नहीं रोकती है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी 4 मार्च 2022 को एफएटीएफ द्वारा जारी अद्यतित सार्वजनिक विवरण और दस्तावेज में उपलब्ध है। इस विवरण और दस्तावेज को निम्नलिखित यूआरएल के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है:

1. http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-march-2022.html
2. https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-march-2022.html
3. http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-march-2022.html

एफएटीएफ के बारे में

वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना इसके सदस्य क्षेत्राधिकारों के मंत्रियों द्वारा 1989 में की गई थी। एफएटीएफ का उद्देश्य काले धन की वैधता, आतंकवाद के वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से लड़ने के लिए मानक निर्धारित करना और विधिक, विनियामक और परिचालनगत उपाय के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। एफएटीएफ आवश्यक उपायों को लागू करने में अपने सदस्यों की प्रगति की निगरानी करता है, काले धन की वैधता और आतंकवाद के वित्तपोषण की तकनीकों तथा प्रतिपक्षीय उपायों की समीक्षा करता है और वैश्विक रूप से उचित उपायों को अपनाने और उनके कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। एफएटीएफ का निर्णय निर्माण निकाय, एफएटीएफ प्लेनरी, वर्ष में तीन बैठक करता है और इन विवरणों को अद्यतन करता है, जिसपर कृपया ध्यान दिया जाए।

रूपांबरा
निदेशक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1872